

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/चि.प्र./क्लिनिकल एस्टे0/2019/0015

दिनांक 21.01.2019.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जयपुर प्रथम।

विषय :- चिकित्सालयों का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के तहत जारी किये गये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण करने बाबत।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक: सामान्य/एफ-95/2019/189 दिनांक: 17.01.2019 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक क्रमांक/चि.प्र./क्लिनिकल एस्टे0/2018/611 दिनांक 14/12/2018 द्वारा आपको चिकित्सा संस्थानों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिये पत्र के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है तथा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के बिन्दु संख्या 10(2) का अवलोकन करें जो कि निम्न प्रकार से है:-

Notwithstanding anything contained in sub-section (1), for the purposes of provisional registration of clinical establishments under section 14, the District Health Officer or the Chief Medical Officer (by whatever name called) shall exercise the powers of the authority as per procedure that may be prescribed.

अतः उक्त नियम के अनुसरण में चिकित्सा संस्थानों का provisional registration करना सुनिश्चित करें, साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 का अध्ययन करें जो कि विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/चि.प्र./क्लिनिकल एस्टे0/2018/0015.

दिनांक 21.01.2019.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बंधित को मेल व वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर